राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 4(21)ग्रावि/अनु–8/2015/ दिनांक: 19 MAY 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

इन्दिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान, जयपुर में दिनांक 15.5.2018 को सभी जिलों के अधिशाषी अभियन्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ताओं की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

प्रारम्भ में ग्रामीण विकास के योजना प्रभारियों द्वारा अपनी–अपनी योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसमें सभी अधिशाषी अभियन्ताओं को कार्यों के नियमित निरीक्षण कर आकर्षक, खूबसूरत व गुणवत्तपूर्ण कार्यो के निर्देश दिये गये।

1. विभिन्न योजनाओं में लम्बित तकनीकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
2. जिन पंचायत समितियों की बीएसआर निर्धारित नहीं हुई है उनको शीघ्र बीएसआर निर्धारित करने के लिए निर्देश दिये गये।
3. आईडब्ल्यूएमएस के प्रावधानों के परिवर्तन के संबंध में विभिन्न जिलों के अभियान्तओं के सभी सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
4. ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 ही प्रभावी है, परन्तु विभाग स्तर से जारी दिशा निर्देशों/स्थाई आदेशों में 2015 का हवाला दिया गया है। ऐसी स्थिति में जिलों के अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा भ्रांतिपूर्ण स्थितियॉ उत्पन्न रहने के संबंध में अवगत कराया गया, इस हेतु राज्य स्तर से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज, श्री प्रशान्त कुमार, संयुक्त सचिव(आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आवास अनुभाग की टीम के साथ राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं विस्तृत समीक्षा की गयी, जिसमें जिलेवार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की क्रियान्विति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में राजस्थान राज्य पांचवें स्थान पर है। राज्य के रैंकिंग से संबंधित बिन्दुओं पर भारत सरकार की टीम द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। राज्य की अच्छी रैंकिंग अर्जित करने हेतु रैंक निर्धारण के मापदण्डों के संबंध में जिलेवार सुधारात्मक प्रयास करने निर्देश दिये।